

पत्र सं०-सी०वी०पी०-०१/२०१७...../जे०

बिहार सरकार  
विधि विभाग

प्रेषक,

सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा,  
सरकार के सचिव, बिहार।

सेवा में,

प्रधान अपर महाधिवक्ता सं०-१  
महाधिवक्ता का कार्यालय,  
उच्च न्यायालय, पटना।

पटना, दिनांक.....

विषय:- माननीय उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष लंबित वर्ष २०१३ तक के अवमाननावाद से संबंधित सभी मामलों को अगले २/३ माह के अन्दर निष्कारित कराये जाने के संबंध में।

-----

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-३१५, दिनांक-२८.०१.२०१७ के संदर्भ में कहना है कि अवमाननावाद से संबंधित वर्ष, २०१३ तक के सभी ऐसे मामलों को लोक अदालत के समक्ष उपस्थापित किये जाने पर माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन करने अथवा अन्यथा की स्थिति में एल०पी०ए०/एस०एल०पी० दायर करने हेतु तीन माह का समय लिये जाने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा)

सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप संख्या.....<sup>651</sup>...../जे०

पटना, दिनांक.....<sup>०६-०२-१७</sup>.....

प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/महानिबंधक, उच्च न्यायालय पटना/महाधिवक्ता, बिहार, पटना/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय विभाग, बिहार/विकास आयुक्त, पटना/अध्यक्ष-सह-सदस्य, राजस्व पर्षद/सभी संबंधित विधि पदाधिकारी, उच्च न्यायालय पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा)  
<sup>सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा</sup>

सरकार के सचिव, बिहार।

<sup>६/२/१७</sup>